संख्या-1370/एफ-4-2001

प्रेषक,

राकेश शर्मा
सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

2. समस्त विभागाध्यक्ष
उत्तरांचल ।

3. समस्त जिलाधिकारी
उत्तरांचल

कार्मिक विभाग-2 देहरादून दिनांक 30 अगस्त, 2001

विषय : पर्वतीय उप-संवर्ग के कार्मिकों एवं पर्वतीय उपसंवर्ग से भिन्न कार्मिकों के उत्तरांचल हेतु विकल्प एवं प्रतिनियुक्ति स्वीकार किये जाने की स्थिति में शर्तों का निर्धारण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल राज्य के गठन से पूर्व विभिन्न विभागों के अन्तर्गत पर्वतीय उपसंवर्ग का गठन किया गया था । उत्तरांचल राज्य के गठन के पश्चात विभिन्न विभागों के ऐसे कार्मिकों द्वारा उत्तरांचल राज्य हेतु विकल्प प्रस्तुत किये गये हैं जो पूर्व में पर्वतीय उपसंवर्ग के अन्तर्गत नहीं थे । अत: पर्वतीय उपसवंर्ग से भिन्न ऐसे कार्मिक के उत्तरांचल राज्य हेतु विकल्प दिये जाने अथवा प्रतिनियुक्ति स्वीकार किये जाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा निम्नलिखित शर्तों का निर्धारण किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

(1) पर्वतीय उपसंवर्ग से भिन्न कार्मिक यदि विकल्प के आधार पर उन विभागों में तैनात होते हैं, जहाँ पर्वतीय उपसंवर्ग निर्धारित है तो उनकी ज्येष्ठता का निर्धारण उस संवर्ग में उनके द्वारा विकल्प देते समय पोषित पद पर कनिष्ठतम कार्मिक के रूप में किया जायेगा ।

(2) प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कार्मिकों को वर्तमान में प्राप्त हो रही सकल परिसम्पत्तियों एवं भत्तों आदि के अतिरिक्त नियमों के अन्तर्गत अधिनियम में अनुमन्य होगा ।

(3) पर्वतीय संवर्ग से भिन्न उत्तरांचल के लिए विकल्प देने वालों को उन पदों के सापेक्ष नहीं लिया जाए, जिन पर चयन श्रेष्ठता के आधार पर किया जाता है ।

भवदीय

(राकेश शर्मा)
सचिव

संख्या : 1370(1)/कार्मिक-2/2001, तद्दिनांकर ।

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल
2. समस्त अनुभाग, उत्तरांचल शासन ।
3. विभागीय आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से

(आर0 सी0 लोहनी)
उप सचिव